इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेशा राजपत्र

# ( असाधारण ) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 294]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 22 जुलाई 2015—आषाढ़ 31, शक 1937

### विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 22 जुलाई 2015

क्र. 16217-वि.स.-विधान-2015.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम-64 के उपबंधों के पालन में मध्यप्रदेश श्रम विधियां (संशोधन) और प्रकीर्ण उपबंध विधेयक, 2015 (क्रमांक 11 सन् 2015) जो विधान सभा में दिनांक 22 जुलाई 2015 को पुर:स्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

> भगवानदेव ईसरानी प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक , क्रमांक ११ सन् २०१५

# मध्यप्रदेश श्रम विधियां (संशोधन) और प्रकीर्ण उपबंध विधेयक, २०१५

विषय-सूची

खण्ड :

भाग एक प्रारंभिक

१. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

भाग दो

भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, १९९६ का संशोधन

- २. मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में केन्द्रीय अधिनियम, १९९६ का २७ का संशोधन.
- ३. धारा ७ का संशोधन.

#### भाग तीन

भवन और अन्य सिन्नर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, १९९६ का संशोधन

- ४. मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में केन्द्रीय अधिनियम, १९९६ का २८ का संशोधन.
- ५. धारा ३ और ११ का संशोधन.

#### भाग चार

ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, १९७० का संशोधन

- ६. मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में केन्द्रीय अधिनियम, १९७० का ३७ का संशोधन.
- ७. धारा ७ और १३ का संशोधन.

#### भाग पांच

### कारखाना अधिनियम, १९४८ का संशोधन

- ८. मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में केन्द्रीय अधिनियम, १९४८ का ६३ का संशोधन.
- ९. धारा ६५, ६६ और ७९ का संशोधन.

#### भाग छह

### औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ का संशोधन

- १०. मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में केन्द्रीय अधिनियम, १९४७ का १४ का संशोधन.
- ११. धारा २क, २५च, और २५ट का संशोधन.

#### भाग सात

### अन्तरराज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त) अधिनियम, १९७९ का संशोधन

- १२. मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में केन्द्रीय अधिनियम, १९७९ का ३० का संशोधन.
- १३. धारा ४ का संशोधन.

#### भाग आठ

### मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, १९६१ का संशोधन

- १४. मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में केन्द्रीय अधिनियम, १९६१ का २७ का संशोधन.
- १५. धारा ३ का संशोधन.

#### भाग नौ

कतिपय श्रम विधियों के अधीन अपराधों का प्रशमन तथा विचारण का उपशमन

१६. मध्यप्रदेश राज्य में कतिपय श्रम विधियों के अधीन अपराधों का प्रशमन.

#### भाग दस

विभिन्न प्रकार की पंजियों के संधारण तथा विभिन्न प्रकार की विवरणियां प्रस्तुत किए जाने से छूट

१७. मध्यप्रदेश राज्य में कतिपय श्रम विधियों के अधीन विभिन्न प्रकार की पंजियों के संधारण तथा विभिन्न प्रकार की विवरणियां प्रस्तुत किए जाने से छूट.

> भाग ग्यारह विविध उपबंध

- १८. नियम बनाने की शक्ति.
- १९. कठिनाईयों का दूर किया जाना.

#### मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ११ सन् २०१५

## मध्यप्रदेश श्रम विधियां (संशोधन) और प्रकीर्ण उपबंध विधेयक, २०१५

मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में,—

- (एक) भवन और अन्य सिन्नर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, १९९६ (१९९६ का २७)
- (दो) भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, १९९६ (१९९६ का २८)
- (तीन) ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम, १९७० (१९७० का ३७)
- (चार) कारखाना अधिनियम, १९४८ (१९४८ का ६३)
- (पाँच) औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ (१९४७ का १४)
- (छह) अन्तरराज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त) अधिनियम, १९७९ (१९७९ का ३०)
- (सात) मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, १९६१ (१९६१ का २७) को और संशोधित करने हेतु तथा अन्य श्रम विधियों के संबंध में प्रकीर्ण उपबंध करने के लिए विधेयक.

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

### भाग एक प्रारंभिक

- १. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश श्रम विधियां (संशोधन) और प्रकीर्ण उपबंध संक्षिप्त नाम और अधिनियम, २०१५ है.
  - (२) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

## भाग दो भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, १९९६ का संशोधन

२. मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में, भवन और अन्य सिन्नामाण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, १९९६ (१९९६ का २७) (जो इस भाग में इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) को इस भाग में, इसके पश्चात् उपबन्धित रीति में संशोधित किया जाए.

मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में केन्द्रीय अधिनियम, १९९६ का २७ का संशोधन.

- ३. मूल अधिनियम में, धारा ७ में, उपधारा (३) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अन्त:स्थापित की जाए, अर्थात् :-- धारा ७ का संशोधन.
- ''(३क) यदि आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से विहित कालाविध के भीतर रिजस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा स्थापना के रिजस्ट्रीकरण के संबंध में कोई प्रतिकृल आदेश पारित नहीं किया गया है, तो सम्यक् रूप से रिजस्ट्रीकरण कर दिया गया समझा जाएगा.''

#### भाग तीन

भवन और अन्य सिन्नर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, १९९६ का संशोधन

मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में केन्द्रीय अधिनियम, १९९६ का २८ का संशोधन. ४. मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में, भवन और अन्य सिन्नर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, १९९६(१९९६ का २८) (जो इस भाग में इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट हैं) को इस भाग में, इसके पश्चात् उपबन्धित रीति में संशोधित किया जाए.

धारा ३ और ११ का संशोधन. .

- ५. मूल अधिनियम में,—
  - (एक) धारा ३ में, उपधारा (१) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अन्त:स्थापित की जाए, अर्थात् :--
    - ''(१क) उपधारा (१) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी कारखाने में प्रयुक्त किए जाने के उद्देश्य से संयंत्रों और मशीनरी के क्रय तथा परिवहन पर उपगत लागत और ऐसी अन्य लागतों को, जो कि राज्य सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, किसी नियोजक द्वारा उपगत सिन्नर्माण की लागत से अपवर्जित कर दिया जाएगा.'';
  - (दो) धारा ११ में, उपधारा (१) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात् :--
    - ''(१) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, धारा ५ के अधीन किए गए किसी निर्धारण आदेश से या धारा ९ के अधीन किए गए शास्ति अधिरोपित करने वाले किसी आदेश से व्यथित कोई नियोजक, ऐसे समय के भीतर, जो कि विहित किया जाए, उस अपील प्राधिकारी को ऐसे प्ररूप में, जैसा कि विहित किया जाए तथा ऐसी रीति में, जैसी कि राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, अपील कर सकेगा.''.

#### भाग चार

ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, १९७० का संशोधन

मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में केन्द्रीय अधिनियम, १९७० का ३७ का संशोधन.

६. मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में, ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, १९७० (१९७० का ३७) (जो इस भाग में इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) को इस भाग में, इसके पश्चात् उपबंधित रीति में संशोधित किया जाए.

धारा ७ और १३ का संशोधन.

- ७. मूल अधिनियम में,—
  - (एक) धारा ७ में, उपधारा (२) के पश्चात, निम्नलिखित नई उपधारा अन्त:स्थापित की जाए, अर्थातु :--
    - ''(३) उपधारा (१) के अनुसार सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर, आवेदन प्रस्तुत किए जाने की तारीख से ३० दिन की कालावधि के भीतर रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी रजिस्ट्रीकरण मंजूर करने या उससे इंकार करने या मंजूर करने में आक्षेप करने या संशोधन करने का आदेश पारित करने में असफल रहता है, तो ऐसा स्थापन, जिसके संबंध में ऐसा आवेदन किया गया है, सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत कर दिया गया समझा जाएगा.'';
  - (दो ) धारा १३ में, उपधारा (३) के पश्चात्, निम्नलिखित नई उपधारा जोड़ी जाए, अर्थात् :—
    - ''(४) उपधारा (१) के अनुसार सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर, उस स्थापन के संबंध में, जिसके संबंध में आवेदन किया गया है, यदि अनुज्ञापन अधिकारी आवेदन प्रस्तुत किए जाने की तारीख से ३० दिन की कालाविध के भीतर अनुज्ञप्ति देने या उससे इंकार करने या उसे मंजूर करने में आक्षेप करने या उसे नवीकृत करने या संशोधित करने का कोई आदेश देने में असफल रहता है तो ठेकेदार को सम्यक् रूप से अनुज्ञप्ति दे दी गई समझी जाएगी.''.

### भाग पांच कारखाना अधिनियम, १९४८ का संशोधन

८. मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में, कारखाना अधिनियम, १९४८ (१९४८ का ६३) (जो इस भाग में इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है), को, इस भाग में, इसके पश्चात् उपबंधित रीति में संशोधित किया जाए.

मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में केन्द्रीय अधिनियम, १९४८ का ६३ का संशोधन.

धारा ६५, ६६ और ७९ का संशोधन.

९. मूल अधिनियम में,-

(एक) धारा ६५ में,-

- (क) उपधारा (२) का लोप किया जाए;
- (ख) उपधारा (३) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात् :--
  - ''(३) (क) धारा ५१, ५२, ५४ और ५६ में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी वयस्क पुरूष कर्मकार को, निम्नलिखित शर्तों को पूरा किए जाने के अध्यधीन रहते हुए किसी कारखाने में, सप्ताह में, ४८ घण्टों से अधिक कार्य करने की अनुमति दी जा सकेगी :—
    - (एक) किसी भी दिन कार्य के कुल घंटे बारह से अधिक न हों;
    - (दो) विश्राम अंतराल को मिलाकर किसी एक दिन में काम का विस्तार तेरह घंटों से अधिक नहीं हो;
    - (तीन) अतिकाल को मिलाकर, किसी सप्ताह में कार्य के कुल घंटे साठ से अधिक नहीं हों;
    - (चार) किसी कर्मकार को, एक समय में सात दिन से अधिक का अतिकाल काम करने के लिये अनुज्ञात नहीं किया जाएगा और किसी तिमाही में अतिकाल काम के कुल घंटे एक सौ पच्चीस से अधिक नहीं हों;
    - (पाँच) ऐसा अतिकाल काम किसी कर्मकार के लिये अनिवार्य या बाध्यकर नहीं होगा.
    - (ख) अधिष्ठाता, कर्मकारों के काम के घंटों और अतिकाल काम की जानकारी ऐसी रीति में, जैसी कि विहित की जाए, संधारित करेगा.
    - स्पष्टीकरण.—इस उपधारा में ''तिमाही'' का वही अर्थ होगा जैसा कि धारा ६४ की उपधारा (४) में दिया गया है.'';
- (दो) धारा ६६ में,-
- (क) उपधारा (१) में, खण्ड (ख) और परन्तुक का लोप किया जाए;
- (ख) उपधारा (१) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाए, अर्थात् :-
  - ''(१क) राज्य सरकार, आदेश द्वारा, उन महिलाओं, की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिये शर्ते विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिनसे रात ८ बजे से सुबह ६ बजे के बीच किसी कारखाने अथवा विनिर्माण प्रक्रिया में काम करने की अपेक्षा की जाती है या काम करनें की अनुज्ञा दी जाती है.'';

- (तीन) धारा ७९ में, उपधारा (१) और स्पष्टीकरण के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा और स्पष्टीकरण स्थापित किए जाएं, अर्थात् :—
  - ''(१) प्रत्येक कर्मकार को, जिसने एक कलैंडर वर्ष के दौरान किसी कारखाने में १८० दिन या अधिक की कालाविध तक कार्य किया है, उसी कलैंडर वर्ष के दौरान निम्नलिखित दर पर संगणित दिन की मजदूरी सहित छुट्टी लेने की अनुज्ञा दी जाएगी—
    - (एक) किसी वयस्क की दशा में, एक कलैंडर वर्ष के दौरान उसके द्वारा किए गए प्रत्येक बीस दिन के काम के लिए एक दिन;
    - (दो) किसी बालक की दशा में एक कलैंडर वर्ष के दौरान उसके द्वारा किए गए प्रत्येक पंद्रह दिन के काम के लिये एक दिन.

स्पष्टीकरण १-इस उपधारा के प्रयोजन के लिए-

- (क) करार या संविदा द्वारा अथवा स्थायी आदेशों के अधीन यथा अनुज्ञात कामबंदी के कोई दिन;
- (ख) स्त्री कर्मकार की दशा में, बारह सप्ताह से अनिधक के लिये प्रसूति छुट्टी के कोई दिन; और
- (ग) जिस वर्ष छुट्टी का उपभोग किया जाता है उससे पूर्ववर्ती वर्ष में उपार्जित छुट्टी,
- १८० या अधिक दिनों की कालाविध की संगणना के प्रयोजन के लिये ऐसे दिन समझे जाएंगे जिनमें कर्मकार के कारखानों में काम किया है.''.

### भाग छह औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ का संशोधन

मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में केन्द्रीय अधिनियम, १९४७ का १४ का संशोधन. १०. मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ (१९४७ का १४) (जो इस भाग में इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) को इस भाग में, इसके पश्चात् उपबंधित रीति में संशोधित किया जाए.

धारा २क, २५च, और २५ट का संशोधन.

- ११. मूल अधिनियम में,—
  - (एक) धारा २-क में, उपधारा (३) में, शब्द ''श्रम न्यायालय या अधिकरण'' के स्थान पर, शब्द ''श्रम न्यायालय या अधिकरण या सुलह अधिकारी'' स्थापित किए जाएं;
  - (दो) धारा २५ च में,-
    - (क) खण्ड (क) में, शब्द ''एक महीने की सूचना'' के स्थान पर शब्द ''तीन महीने की सूचना'' स्थापित किए जाएं;
    - (ख) खण्ड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :-
      - ''(ख) कर्मकार को छंटनी के समय ऐसा प्रतिकर दे दिया गया हो जो निरन्तर सेवा के हर संपूरित वर्ष के लिये या छह मास से अधिक के उसके किसी भाग के लिए पंद्रह दिन के औसत वेतन के बराबर या उसके तीन मास के औसत वेतन की राशि के, जो भी अधिक हो, बराबर हो; और'';
  - (तीन) धारा २५ ट में, उपधारा (१) में, शब्द ''एक सौ'' के स्थान पर, शब्द ''तीन सौ'' स्थापित किए जाएं.

#### भाग सात

### अन्तरराज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त) अधिनियम, १९७९ का संशोधन.

१२. मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में अन्तरराज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियम और सेवा शर्त) अधिनियम, १९७९ (१९७९ का ३०) (जो इस भाग में इसके पश्चात मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) को इस भाग में इसके पश्चात् उपबंधित रीति में संशोधित किया जाए.

मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में केन्द्रीय अधिनियम, १९७९ का ३० का संशोधन.

१३. मूल अधिनियम में, धारा ४ में, उपधारा (३) में, पूर्ण विराम के स्थान पर कोलन स्थापित किया जाए और तत्पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोडा जाए, अर्थात् :--

धारा ४ का संशोधन.

''परन्तु यदि रजिस्ट्रींकर्ता अधिकारी द्वारा उपधारा (१) के अधीन आवेदन प्रस्तुत किए जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर कोई प्रतिकृल आदेश पारित नहीं किया जाता है, तब रजिस्ट्रीकरण सम्यक् रूप से कर दिया गया समझा जाएगा.''.

#### भाग आठ

### मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, १९६१ का संशोधन

१४. मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, १९६१ (१९६१ का २७) (जो इस भाग में इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) को, इस भाग में इसके पश्चात् उपबंधित रीति में संशोधित किया जाए.

मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में केन्द्रीय अधिनियम, १९६१ का २७ का संशोधन.

१५. मूल अधिनियम में, धारा ३ में, उपधारा (२) में, पूर्ण विराम के स्थान पर कोलन स्थापित किया जाए और उसके पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जाए, अर्थातु :--

धारा ३ का संशोधन.

''परन्तु यदि विहित प्राधिकारी द्वारा आवेदन प्रस्तुत किए जाने की तारीख से तीस दिन की कालावधि के भीतर कोई प्रतिकृत आदेश पारित नहीं किया गया है तो रजिस्ट्रीकरण सम्यक् रूप से कर दिया गया समझा जाएगा.''.

#### भाग नौ

## कतिपय श्रम विधियों के अधीन अपराधों का प्रशमन तथा विचारण का उपशमन

- १६. (१) निम्नलिखित अधिनियमों, अर्थात् :--
  - (एक) समान पारिश्रमिक अधिनियम, १९७६ (१९७६ का २५);

- (दो) श्रम विधि (विवरणी देने और रिजस्टर रखने से कतिपय स्थापनों को छूट) अधिनियम, १९८८ (१९८८ का ५१);
- (तीन) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, १९४८ (१९४८ का ११);
- (चार) मजदूरी संदाय अधिनियम, १९३६ (१९३६ का ४);
- (पांच) विक्रय संवर्धन कर्मचारी (सेवा शर्त) अधिनियम, १९७६ (१९७६ का ११); में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी,—

मध्यप्रदेश राज्य में कतिपय विधियों के अधीन अपराधों का प्रशमन.

- (क) इन अधिनियमों के अधीन प्रथम बार कारित किए गए अथवा पूर्व में कारित केवल जुर्माने से दण्डनीय किसी अपराध का, (यदि कोई हो), दो वर्ष की कालाविध का अवसान हो जाने के पश्चात्, अभियोजन संस्थित किए जाने के पूर्व अथवा उसके पश्चात् जुर्माने की अधिकतम राशि से अनिधक किन्तु अपराध के लिए अधिकतम जुर्माने के आधे से अन्यून प्रशमन शुल्क की ऐसी राशि वसूल करके जैसी कि वह उचित समझे, प्रशमन कर सकेगा, अथवा
- (ख) इन अधिनियमों के अधीन प्रथम बार कारित किए गए, कारित जुर्माने तथा तीन मास तक के कारावास से दण्डनीय अपराध का या तो अभियोजन संस्थित किए जाने के पूर्व या पश्चात्, एक मास तक के कारावास से दण्डनीय अपराध के लिए न्यूनतम रुपए १०,००० के अध्यधीन रहते हुए अधिकतम जुर्माने की दस गुना के बराबर राशि, दो मास तक के कारावास से दण्डनीय अपराधों के लिए रुपए २०,००० अथवा तीन मास तक के कारावास से दण्डनीय अपराधों के लिए रुपए ३०,००० की राशि वसुल करके प्रशमन कर सकेगा.

#### (२) अपराध का-

- (एक) अभियोजन संस्थित किए जाने के पूर्व, इस प्रकार प्रशमन हो जाने पर अपराधी अभियोजन का भागी नहीं होगा और यदि वह अभिरक्षा में है तो मुक्त कर दिया जाएगा;
- (दो) अभियोजन संस्थित हो जाने के पश्चात् इस प्रकार प्रशमन हो जाने पर प्रशमन के परिणाम स्वरूप अपराधी उन्मोचित हो जाएगा.

#### भाग दस

## विभिन्न प्रकार की पंजियों के संधारण तथा विभिन्न प्रकार की विवरणियां प्रस्तुत किए जाने से छूट

मध्यप्रदेश राज्य में कित्यय श्रम विधियों के अधीन विभिन्न प्रकार की पंजियों के संधारण तथा विभिन्न प्रकार की विवरणियां प्रस्तुत किए जाने से छूट.

- १७. निम्नलिखित अधिनियमों, अर्थात् :--
  - (एक) ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, १९७० (१९७० का ३७);
  - (दो) समान पारिश्रमिक अधिनियम, १९७६ (१९७६ का २५);
  - (तीन) कारखाना अधिनियम, १९४८ (१९४८ का ६३);
  - (चार) औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ (१९४७ का १४);
  - (पांच) अन्तरराज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन ओर सेवा शर्त) अधिनियम, १९७९ (१९७९ का ३०);
  - (छह) श्रम विधि (विवरणी देने और रिजस्टर रखने से कितपय स्थापनों को छूट) अधिनियम, १९८८ (१९८८ का ५१);
  - (सात) प्रसृति प्रसुविधा अधिनियम, १९६१ (१९६१ का ५३);
  - (आठ) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, १९४८ (१९४८ का ११);
  - (नौ) मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, १९६१ (१९६१ का २७)
  - (दस) बोनस संदाय अधिनियम, १९६५ (१९६५ का २१);
  - (ग्यारह) उपदान संदाय अधिनियम, १९७२ (१९७२ का ३९);

- (बारह) मजदूरी संदाय अधिनियम, १९३६ (१९३६ का ४);
- (तेरह) विक्रय संवर्धन कर्मचारी (सेवा शर्त) अधिनियम, १९७६ (१९७६ का ११), के उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, आदेश द्वारा, उक्त अधिनियमों तथा उनके अधीन बनाए गए नियमों के अन्तर्गत विहित प्ररूपों के बदले में किसी नियोक्ता अथवा स्थापन द्वारा पंजियां तथा अभिलेख संधारित करने और विवरणियां प्रस्तुत करने के लिए प्ररूप बना सकेगी अथवा अधिसूचित कर सकेगी:

परन्तु राज्य सरकार, कम्प्यूटरीकृत अथवा डिजिटल फार्मेट में पंजियां और अभिलेख संधारित करने की अनुज्ञा दे सकेगी.

#### भाग ग्यारह

#### प्रकीर्ण उपबंध

- १८. (१) राज्य सरकार, पूर्व प्रकाशन की शर्त के अध्यधीन रहते हुए, इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वयित नियम बनाने की करने के प्रयोजन से नियम बना सकेगी.
- (२) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए समस्त नियम उनके बनाए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, विधान सभा के पटल पर रखे जाएंगे.
- १९. (१) इस अधिनियम के उपबंधों के क्रियान्वयन में यदि कोई किठनाई उद्भूत होती है तो राज्य सरकार, किठनाईयों का दूर राजपत्र में प्रकाशित साधारण अथवा विशेष आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों से अन् असंगत ऐसे उपबंध बना किया जाना. सकेगी जो किठनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक अथवा समीचीन प्रतीत हों.
  - (२) उपधारा (१) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश विधान सभा के पटल पर रखा जाएगा.

## उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक प्रक्रिया को सरल बनाने और अधिनियमों में उपबंधों के दोहराव को रोकने तथा कर्मकारों के हित में समुचित संरक्षण का उपबंध करने के उद्देश्य से कतिपय श्रम विधियों में संशोधन करने के लिए प्रस्तावित किया जा रहा है.

- (२) भवन और अन्य सिन्नांण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, १९९६ (१९९६ का २७) की धारा ७ की उपधारा (३) के अधीन स्थापन के रिजस्ट्रीकरण के लिए उपबंध अधिकथित हैं, परन्तु ऐसा रिजस्ट्रीकरण जारी करने के लिए कोई समय-सीमा विहित नहीं है और इसलिये ऐसा आवेदन संबंधित कार्यालय में अनिश्चित समय तक लंबित रहने की संभावनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता है. इस कमी को दूर करने के लिए और रिजस्ट्रीकरण प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिये उपधारा (३ क) के रूप में एक अतिरिक्त उपबंध जोड़ा जाना प्रस्तावित है, जिससे यदि रिजस्ट्रीकरण कर दिया गया समझा जाएगा.
- ३(१) भवन और अन्य सिन्नामीण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, १९९६ (१९९६ का २८) की धारा ३ की उपधारा (१) में किसी नियोक्ता द्वारा उपगत सिन्नामीण की लागत पर उपकर उद्ग्रहित करने का उपबंध है परन्तु इस संबंध में कि सिन्नामीण की वास्तिविक लागत क्या होनी चाहिए. कोई वर्गीकरण न होने के कारण, उपकर का निर्धारण बहुत से अधिकारियों द्वारा विभिन्न (मनमानी) रीतियों में सिन्नामीण की लागत की संगणना द्वारा किया जा रहा है. ऐसी किठनाईयों को दूर करने के लिए, धारा ३ की एक अतिरिक्त उपधारा (१क) प्रस्तावित की जा रही है जिसमें संयंत्र और मशीनरी बाहर से क्रय करने पर नियोक्ता द्वारा उपगत राशि, जो सिन्नामीण का भाग नहीं है और ऐसी अन्य अतिरिक्त लागत सरकार द्वारा स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट की जाएगी और सिन्नामीण की लागत का भाग नहीं होगी.

- (२) धारा ११ की उपधारा (१) में, निर्धारण अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील का उपबंध अभिकथित है और प्रक्रिया, भवन और अन्य सिन्नाण कर्मकार कल्याण उपकरण नियम, १९९८ के नियम १४ में है. उसमें प्रक्रिया जटिल प्रतीत होती है क्योंकि यदि यह पूर्ण रूप से विवाद-ग्रस्त हो तो भी नियोक्ता को निर्धारण अधिकारी द्वारा आदेशित उपकर की संपूर्ण राशि जमा करना होती है और उसे अपील शुल्क भी जमा करना होता है. अतएव, ऐसी प्रक्रियात्मक कठिनाई को दूर करने के लिए, अधिनियम की धारा ११ की उपधारा (१) के प्रस्तावित स्थापन के माध्यम से राज्य सरकार को अपील की प्रक्रिया में संशोधन विहित करने के लिए सशक्त किया जा रहा है.
- ४. ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, १९७० (१९७० का ३७) की धारा ७ की उपधारा (२) और धारा १३ की उपधारा (३) में, मूल नियोक्ता के रिजस्ट्रीकरण और ठेकेदारों के लिए अनुज्ञिप्त के उपबंध अधिकथित हैं, परन्तु उसके जारी किए जाने के लिए कोई समय सीमा विहित नहीं है और इस कारण ऐसे आवेदन में अनिश्चितकाल तक विलम्ब होने की संभावना बनी रहती है. ऐसी प्रक्रियात्मक किठनाईयों को दूर करने के लिए और प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बनाए रखने के लिये धारा ७ और १३ के अधीन अतिरिक्त उपबंध जोड़ा जाना प्रस्तावित किया जा रहा है जिससे कि यदि आवेदन सभी प्रकार से पूर्ण हो और इस कालाविध के दौरान कोई आपित्त नहीं की गई हो तो ३० दिन की समय-सीमा में स्वीकृत समझा जाएगा.
- ५(१) कारखाना अधिनियम, १९४८ (१९४८ का ६३) की धारा ६५ की उपधारा (१) में, किसी कर्मकार के अतिकाल कार्य की कालाविध में कोई छूट देने के लिए शिक्तयां सरकार और मुख्य निरीक्षक में निहित हैं और ऐसे अतिकाल कार्य के लिए शर्तें भी अधिकिथत हैं. ऐसी अनुमित प्राप्त करने के लिए, प्रत्येक कारखाने को अलग-अलग आवेदन करना होता है और लम्बी जिटल प्रक्रिया से गुजरना होता है. अतिकाल की अविध बढ़ाकर ऐसे नियोक्ताओं को सुविधा देने के लिए और अतिकाल के लिये प्राप्त होने वाली मजदूरी की दर को दुगुना करके कर्मकार की उत्पादकता और आर्थिक स्थित को सुधारने के लिए, कार्य के घंटे तथा अतिकाल के घंटे बढ़ाने और उसकी शर्तों के लिये उपबंध धारा ६५ की उपधारा (३) के अधीन विहित किए जा रहे हैं और धारा ६५ की उपधारा (२) का लोप किया जाना प्रस्तावित किया जा रहा है.

यह भी प्रस्तावित किया जा रहा है कि किसी भी कर्मकार को अतिकाल कार्य करने के लिए मजबूर नहीं किया जाए और अधिभोगी को इन उपबंधों के दुरुपयोग को रोकने के लिये विहित प्ररूप में काम के घंटे और अतिकाल का रिकार्ड संधारित करना होगा.

- (२) धारा ६६ की उपधारा (१) के खण्ड (क) एव (ख) में, रात की पारी में महिलाओं के लिए कार्य के निर्बंधन के संबंध में उपबंध अधिकथित हैं. ये उपबंध वर्तमान परिदृश्य में, महिलाओं की प्रास्थित और उनमें जागरूकता के कारण पुराने हो गए हैं. महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए और रात की पारी में कार्य करने वाली महिलाओं की कठिनाई को दूर करने के लिए, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करते समय, रात ८ बजे से सुबह ६ बजे के बीच उन्हें कार्य करने की अनुमित देने के लिए उपबंध धारा ६६ में प्रस्तावित किए जा रहे हैं. राज्य सरकार द्वारा भी रात की पारी के दौरान उनकी सुरक्षा के लिए उपबंध सुनिश्चित किए जाएंगे.
- (३) धारा ७९ की उपधारा (१) में मजदूरी सिंहत वार्षिक छुट्टी के उपबंध विहित किए गए हैं किन्तु उसके केवल २४० दिनों की पूर्ण सेवा के पश्चात् ही आगामी कैलेण्डर वर्ष से किसी कर्मकार की मजदूरी सिंहत वार्षिक छुट्टी का उपबंध है. उसे कर्मकारों के लिए अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए, यह प्रस्तावित है कि धारा ७९ में संशोधन करके कर्मकारों की सेवा के १८० दिनों को पूर्ण करने के पश्चात् उसी कलेण्डर वर्ष से मजदूरी सिंहत छुट्टी का अभिलाभ मिले.
- ६. (१) औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ (१९४७ का १४) की धारा २ क में, निजी विवादों के उठाने के लिए कोई समय-सीमा विहित नहीं की गई है और कभी-कभी विवाद कई वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात् उठाए जाते हैं जिससे ऐसे विवादों के निपटारे में किठनाईयां होती हैं. अतएव, यह प्रस्तावित किया गया है कि धारा २क के अधीन आने वाले औद्योगिक विवाद उठाने के लिये तीन वर्ष की समय-सीमा भी उपबंधित की जाए.
- (२) विद्यमान धारा २५-च में कर्मकारों को उनकी छंटनी के पूर्व तीन मास का नोटिस या नोटिस के स्थान पर नोटिस की कालाविध के लिये मजदूरी दिए जाने का प्रावधान है. कर्मकारों के हित में इस उपबंध को संशोधित किया जाकर यह प्रस्तावित है कि धारा २५-च के खण्ड (ख) को संशोधित किया जाए ताकि छंटनी की दशा में, कर्मकारों को तीन मास का नोटिस तथा कम से कम तीन मास की मजदूरी दी जाए. यह उपबंध कर्मकारों को उनकी छंटनी की दशा में, परिवर्तन की कालाविध के दौरान, अत्यधिक आवश्यक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगा.

- (३) धारा २५-ट अधिनियम के अध्याय पांच ख के लागू होने का उपबंध करता है तथा यह अध्याय ऐसे औद्योगिक स्थापन को, (जो केवल सामयिक प्रकृति के न हों या जिनमें सतत रूप से कार्य सम्पन्न नहीं किया जाता हो, की स्थापना न हो) जिसमें पूर्ववर्ती बारह मास में औसत प्रत्येक कार्य दिवस पर ''एक सौ'' से अनिधक कर्मकार नियोजित रहे हों, को लागू होगा. ऐसे स्थापनों में, नियोजिक द्वारा, कामबंदी, छंटनी और बंद किए जाने के पूर्व राज्य शासन की पूर्व मंजूरी अभिप्राप्त किया जाना आवश्यक है. संशोधन द्वारा कर्मकारों की संख्या १०० से ३०० तक बढ़ाना प्रस्तावित है. जो नियोजिकों को स्थापन के रोल पर नियमित कर्मकारों की अधिक संख्या नियोजित करने में सहायता तथा उसे प्रोत्साहित तथा ऐसी अनुमितयां प्राप्त करने की बांछा रखने वाले छोटे स्थापनों के लिए प्रक्रिया संबंधी कठिनाईयों को भी दूर करेगा.
- ७. अन्तरराज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त) अधिनियम, १९७९ (१९७९ का ३०) की धारा ४ की उपधारा (३) में, विद्यमान उपबंध स्थापन के रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रियां विहित करता है किन्तु ऐसा रजिस्ट्रीकरण जारी करने के लिए कोई समय-सीमा विहित नहीं की गई है, जिसके परिणामस्वरूप ऐसे आवेदन अनिश्चित कालाविध के लिए लिम्बत बने रह सकते हैं. अतएव, पारदर्शिता बनाए रखने तथा ऐसी प्रक्रियात्मक कमी को दूर करने के लिए ३० दिन की समय-सीमा विहित करने के लिए एक अतिरिक्त परन्तुक अंत:स्थापित किया जाना प्रस्तावित है जिससे कि यदि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी द्वारा यदि कोई प्रतिकूल आदेश पारित नहीं किया गया है तो, रजिस्ट्रीकरण सम्यक रूप से कर दिया गया समझा जाएगा.
- ८. मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, १९६१ (१९६१ का २७) की धारा ३ की उपधारा (२) में, विद्यमान उपबंध स्थापन के रिजस्ट्रीकरण की प्रक्रिया विहित करता है किंतु ऐसा रिजस्ट्रीकरण जारी करने के लिये कोई समय-सीमा विहित नहीं की गई है, जिसके परिणाम स्वरूप ऐसे आवेदन अनिश्चित कालाविध के लिये लंबित बने रह सकते हैं. अतएव, पारदर्शिता बनाए रखने तथा ऐसी प्रक्रियागत कमी को दूर करने के लिए, ३० दिन की समय-सीमा विहित करने के लिए एक अतिरिक्त परन्तुक अंतःस्थापित किया जाना प्रस्तावित है जिससे कि यदि रिजस्ट्रीकर्ता अधिकारी द्वारा यदि कोई प्रतिकूल आदेश पारित नहीं किया गया है तो रिजस्ट्रीकरण सम्यक् रूप से कर दिया गया समझा जाएगा.
- ९. यह देखा गया है कि विभिन्न श्रम विधियों में विद्यमान उपबंधों के अधीन, अपराधों के प्रशमन के लिए कोई उपबंध नहीं है, परिणामस्वरूप अभियोजन मामलों की संख्या अधिक हो रही है, जिसके कारण सरकारी अधिकारियों और साथ ही नियोक्ताओं के कीमती समय का भी अपव्यय होता है. शास्तियों और केवल ३ मास तक के कारावास वाले अपराधों के तीव्र निपटारे के लिए और वादों की संख्या को कम से कम करने के लिए, केवल ऐसे अधिनियमों में जिनमें शास्ति और केवल ३ मास तक के कारावास का उपबंध है, श्रम विभाग के अधिकारियों द्वारा प्रशमन के माध्यम से ऐसे मामलों के विनिश्चय के लिए उपबंध प्रस्तावित किए जा रहे हैं.
- १०. उद्योगों और वाणिज्यिक स्थापनों को अनावश्यक परेशानी से बचाने के लिए और अनेक श्रम विधियों के उपबंधों का पालन करने के लिये और अधिक प्रभावी प्रणाली सुनिश्चित करते समय अनेक श्रम विधियों के अधीन सरलीकृत पंजियों तथा विवरणियों की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए यह प्रस्तावित है कि ऐसे उपबंध किए जाएं जिनमें नियोजकों से पंजियों, अभिलेखों तथा विवरणियों के केवल छोटे, सरल एकीकृत फार्मेट संधारित करने की अपेक्षा की जाए और उन्हें कम्प्यूटरीकृत व डिजिटल फार्मेट में संधारित करने की भी अनुज्ञा होगी.
  - ११. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल: तारीख १८ जुलाई, २०१५. अंतरसिंह आर्य भारसाधक सदस्य.

### प्रत्यायोजित विधि निर्माण संबंधी ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक के जिन खंडों द्वारा राज्य सरकार को विधायनी शक्तियां प्रत्यायोजित की जा रही है उनका विवरण निम्नानुसार है:—

खण्ड ३ —आवेदन प्रस्तुत किए जाने की कालावधि निहित किए जाने;

खण्ड ५—अपील प्रस्तुत करने हेतु समय-सीमा एवं प्रारूप विहित किए जाने की रीति विनिर्दिष्ट किए जाने;

खण्ड ९.३(ख)—काम के घंटों और अतिकाल काम की जानकारी की रीति विहित किए जाने;

खण्ड १७.(तेरह)—नियोक्ता अथवा स्थापना द्वारा पंजियों तथा अभिलेख संधारित करने और विवरणियां प्रस्तुत करने के लिये प्रारूप विहित किए जाने;

- १८. नियम बनाये जाने:
- १९. कठिनाइयों को दूर किए जाने;

के संबंध में राज्य सरकार नियम बना सकेगी जो सामान्य स्वरुप के होंगे.

भगवानदेव ईसरानी प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा. इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

# ( असाधारण ) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 299]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 23 जुलाई 2015—श्रावण 1, शक 1937

### विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 23 जुलाई 2015

क्र. 5076-212-इक्कीस-अ (प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश श्रम विधियां (संशोधन) और प्रकीर्ण उपबंध विधेयक, 2015 (क्रमांक 11 सन् 2015) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

> मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH BILL No. 11 of 2015

THE MADHYA PRADESH LABOUR LAWS (AMENDMENT) AND MISCELLANEOUS PROVISIONS BILL. 2015

TABLE OF CONTENTS

Clauses:

#### PART I PRELIMINARY

1. Short tital and commencement.

# PART II AMENDMENT OF THE BUILDING AND OTHER CONSTRUCTION WORKERS (REGULATION OF EMPLOYMENT AND CONDITIONS OF SERVICE) ACT, 1996

- 2. Amendment of Central Act No. 27 of 1996 in its application to the State of Madhya Pradesh.
- 3. Amendment of Section 7.

#### PART III

# AMENDMENT OF THE BUILDING AND OTHER CONSTRUCTION WORKERS WELFARE CESS ACT, 1996

- 4. Amendment of Central Act No. 28 of 1996 in its application to the State of Madhya Pradesh.
- 5. Amendment of Sections 3 and 11.

#### PART IV

### AMENDMENT OF THE CONTRACT LABOUR (REGULATION AND ABOLITION) ACT, 1970

- 6. Amendment of Central Act No. 37 of 1970 in its application to the State of Madhya Pradesh.
- 7. Amendment of Sections 7 and 13.

### PART V

#### AMENDMENT OF THE FACTORIES ACT, 1948

- 8. Amendment of Central Act No. 63 of 1948 in its application to the State of Madhya Pradesh.
- 9. Amendment of Sections 65, 66 and 79.

#### PART VI

#### AMENDMENT OF THE INDUSTRIAL DISPUTES ACT, 1947

- 10. Amendment of Central Act No. 14 of 1947 in its application to the State of Madhya Pradesh.
- 11. Amendment of Sections 2A, 25F and 25K.

#### PART VII

# AMENDMENT OF THE INTER-STATE MIGRANT WORKMEN (REGULATION OF EMPLOYMENT AND CONDITIONS OF SERVICE) ACT, 1979

- 12. Amendment of Central Act No. 30 of 1979 in its application to the State of Madhya Pradesh.
- 13. Amendment of Section 4.

#### PART VIII

#### AMENDMENT OF THE MOTOR TRANSPORT WORKERS ACT, 1961

- 14. Amendment of Central Act No. 27 of 1961 in its application to the State of Madhya Pradesh.
- 15. Amendment of Section 3.

#### PART IX

#### COMPOSITION OF OFFENCES AND ABATEMENT OF TRIALS UNDER CERTAIN LABOUR LAWS

16. Composition of offences under certain Labour laws in the State of Madhya Pradesh.

#### PART X

# EXEMPTION FROM MAINTAINING MULTIPLE REGISTERS AND SUBMISSION OF MULTIPLE RETURNS

17. Exemption from maintaining multiple registers and submission of multiple returns under certain Labour Laws in the State of Madhya Pradesh.

#### PART XI MISCELLANEOUS PROVISIONS

- 18. Power to make rules.
- 19. Removal of difficulties.

#### MADHYA PRADESH BILL No. 11 of 2015

# THE MADHYA PRADESH LABOUR LAWS (AMENDMENT) AND MISCELLANEOUS PROVISIONS BILL, 2015

#### A Bill further to amend the-

- (i) Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996 (No. 27 of 1996);
- (ii) Building and Other Construction Workers' Welfare Cess Act, 1996 (No. 28 of 1996);
- (iii) Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 (No. 37 of 1970);
- (iv) Factories Act, 1948 (No. 63 of 1948);
- (v) Industrial Disputes Act, 1947 (No. 14 of 1947);
- (vi) Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1979 (No. 30 of 1979);
- (vii) Motor Transport Workers Act, 1961 (No. 27 of 1961).

in their application to the State of Madhya Pradesh and to make miscellaneous provisions regarding other Labour Laws.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the sixty-sixth year of the Republic of India as follows:—

# PART I PRELIMINARY

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Labout Laws (Amendment) and Miscellaneous Provisions Act, 2015.

Short tital and commencement.

(2) It shall cone into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

#### PART II

# AMENDMENT OF THE BUILDING AND OTHER CONSTRUCTION WORKERS (REGULATION OF EMPLOYMENT AND CONDITIONS OF SERVICE) ACT, 1996

2. The Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996 (No. 27 of 1996) (hereinafter in this Part referred to as the principal Act) shall in its application to the State of Madhya Pradesh be amended in the manner hereinafter provided in this Part.

Amendment of Central Act No. 27 of 1996 in its application to the State of Madhya Pradesh.

3. In the principal Act, in Section 7, after sub-section (3), the following sub-section shall be inserted, namely:—

Amendment of Section 7.

"(3A) If no adverse order is passed in regard to registration of establishment by the Registering Officer within the prescribed period from the date of submission of application, then the registration shall be deemed to be duly granted.".

#### PART III

# AMENDMENT OF THE BUILDING AND OTHER CONSTRUCTION WORKERS WELFARE CESS ACT, 1996

Amendment of Central Act No. 28 of 1996 in its application to the State of Madhya Pradesh. 4. The Building and Other Construction Workers' Welfare Cess Act, 1996 (No. 28 of 1996) (hereinafter in this Part referred to as the principal Act) shall in its application to the State of Madhya Pradesh be amended in the manner hereinafter provided in this Part.

Amendment of Sections 3 and 11.

- 5. In the principal Act,—
  - (i) in Section 3, after sub-section (1), the following sub-section shall be inserted, namely:—
    - (1A) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), costs incurred on purchase and transportation of plant and machinery meant to be used in a factory and such other costs as may be specified by notification issued by the State Government shall be excluded from the cost of construction incurred by an employer.";
  - (ii) in Section 11, for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely:—
    - "(1) Notwithstanding anything contained in the rules made under this Act, any employer aggrieved by an order of assessment made under Section 5 or by an order imposing penalty under Section 9 may, within such time as may be prescribed, appeal to such appellate authority in such form as may be prescribed and in such manner as may be specified by the State Government."

# PART IV AMENDMENT OF THE CONTRACT LABOUR (REGULATION AND ABOLITION) ACT, 1970

Amendment of Central Act No. 37 of 1970 in its application to the State of Madhya Pradesh. 6. The Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 (No. 37 of 1970) (hereinafter in this Part referred to as the principal Act) shall in its application to the State of Madhya Pradesh be amended in the manner hereinafter provided in this Part.

Amendment of Sections 7 and 13.

- 7. In the principal Act,—
  - (i) in Section 7, after sub-section (2), the following new sub-section shall be inserted, namely:—
    - "(3) Upon submission of an application complete in all respects, in accordance with sub-section (1), the establishment in respect of which such application is made shall be deemed to be duly registered if the registering officer fails to pass an order either granting or refusing or objecting to grant or amend the registration within a period of 30 days from the date of submission of application.";
  - (ii) in Section 13, after sub-section (3), the following new sub-section shall be added, namely:—
    - "(4) Upon submission of an application complete in all respects in accordance

with sub-section (1), the contractor in relation to an establishment in respect of which such application is made shall be deemed to be duly licensed if the licensing officer fails to pass an order either granting or refusing or objecting to grant or renew or amend the license within a period of 30 days from the date of submission of application.".

# PART V AMENDMENT OF THE FACTORIES ACT, 1948

8. The Factories Act, 1948 (No. 63 of 1948) (hereinafter in this Part referred to as the principal Act) shall in its application to the State of Madhya Pradesh be amended in the manner hereinafter provided in this Part.

Amendment of Central Act No. 63 of 1948 in its application to the State of Madhya Pradesh.

- 9. In the principal Act,—
  - (i) in Section 65,—
    - (a) sub-section (2) shall be deleted;
    - (b) for sub-section (3), the following sub-section shall be substituted, namely:—
      - "(3) (a) Notwithstanding anything contained in sections 51, 52, 54 and 56, an adult male worker may be allowed to work in a factory for more than 48 hours in a week subject to fulfilment of following conditions:—
        - (i) the total number of hours of work in any day shall not exdeed twelve;
        - (ii) the spread over, inclusive of intervals for rest, shall not exceed thirteen hours in any one day;
        - (iii) the total number of hours of work in any week, including overtime, shall not exceed sixty;
        - (iv) no worker shall be allowed to work overtime, for more than seven days at a stretch and the total number of hours of overtime work in any quarter shall not exceed one hundred and twenty five;
        - (v) such overtime work shall not be made compulsory or obligatory for any worker.
      - (b) The occupier shall maintain information of working hours any overtime work of workers in such manner as may be prescribed.

**Explanation.**—In this sub-section "quarter" has the same meaning as in sub-section (4) of section 64.";

- (ii) in Section 66,—
  - (a) in sub-section (1), clause (b) and proviso shall be omitted;
  - (b) after sub-section (1), the following sub-section shall be inserted, namely:—
    - "(1A) The State Government may, by order, specify conditions for ensuring safety of women who are required or allowed to work in any factory or manufacturing process between the hours of 8 P.M. and 6 A.M.";
- (iii) in Section 79, for sub-section (1) and Explanation 1, the following sub-section and Explanation shall be substituted, namely:—
  - "(1) Every worker who has worked for a period of 180 days or more in a factory during a calendar year shall be allowed during the same calendar year, leave

Amendment of Sections 65, 66 and 79.

with wages for a number of days calculated at the rate of-

- (i) if an adult, one day for every twenty days of work performed by him during the calender year;
- (ii) if a child, one day for every fifteen days of work performed by him during the calendar year.

#### Explanation 1.—For the purpose of this sub-section—

- (a) any days of lay-off, by agreement or contract or as permissible under the standing orders;
- (b) in the case of a female worker, maternity leave for any number of days not exceeding twelve weeks; and
- (c) the leave earned in the year prior to that in which the leave is enjoyed,

shall be deemed to be days on which the worker has worked in a factory for the purpose of computation of the period of 180 days or more.".

#### PART VI AMENDMENT OF THE INDUSTRIAL DISPUTES ACT, 1947

Amendment of Central Act No. 14 of 1947 in its application to the State of Madhya Pradesh.

Amendment of Sections 2A, 25F and 25K. 10. The Industrial Disputes Act, 1947 (No. 14 of 1947) (hereinafter in this Part referred to as the principal Act) shall in its application to the State of Madhya Pradesh be amended in the manner hereinafter provided in this Part.

#### 11. In the principal Act,—

- (i) in Section 2-A, in sub-section (3), for the words "the Labour Court or Tribunal", the words "the Labour Court or Tribunal or Conciliation Officer" shall be substituted;
- (ii) in Section 25F,—
  - (a) in clause (a), for the words "one month's notice", the words "three month's notice" shall be substituted:
  - (b) for clause (b), the following clause shall be substituted, namely:—
    - "(b) the workman has been paid, at the time of retrenchment, compensation which shall be equivalent to fifteen days' average pay for every completed year of continuous service or any part thereof in excess of six months, or an amount equivalent to his three months' average pay, whichever is more; and";
- (iii) in Section 25K, in sub-section (1), for the words "one hundred", the words "three hundred" shall be substituted.

#### PART VII

# AMENDMENT OF THE INTER-STATE MIGRANT WORKMEN (REGULATION OF EMPLOYMENT AND CONDITIONS OF SERVICE) ACT, 1979

Amendment of Central Act No. 30 of 1979 in its application to the State of Madhya Pradesh. 12. The Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1979 (No. 30 of 1979) (hereinafter in this Part referred to as the principal Act) shall in its application to the State of Madhya Pradesh be amended in the manner hereinafter provided in this Part.

13. In the principal Act, in Section 4, in sub-section (3), for full stop, the colon shall be substituted and thereafter the following proviso shall be added, namely:—

Amendment of Section 4.

"Provided that if no adverse order is passed by the Registering Officer within thirty days from the date of submission of application under sub-section (1), then the registration shall be deemed to be duly granted.".

# PART VIII AMENDMENT OF THE MOTOR TRANSPORT WORKERS ACT, 1961

14. The Motor Transport Workers Act, 1961 (No. 27 of 1961) (hereinafter in this Part referred to as the principal Act) shall in its application to the State of Madhya Pradesh be amended in the manner hereinafter provided in this Part.

Amendment of Central Act No. 27 of 1961 in its application to the State of Madhya Pradesh.

15. In the principal Act, in Section 3, in sub-section (2), for full stop, the colon shall be substituted and thereafter the following proviso shall be inserted, namely:—

Amendment of Section 3.

"Provided that if no adverse order is passed by the prescribed authority within a period of 30 days from the date of submission of application, then the registration shall be deemed to be duly granted.".

#### PART IX

# COMPOSITION OF OFFENCES AND ABATEMENT OF TRIALS UNDER CERTAIN LABOUR LAWS

16.(1) Notwithstanding anything contained in the following Acts, namely:—

Composition of offences under certain Labour laws in the State of Madhya Pradesh.

- (i) Equal Remuneration Act, 1976 (No. 25 of 1976);
- (ii) Labour Laws (Exemption from Furnishing Returns and Maintaining Registers by certain Establishments) Act, 1988 (No. 51 of 1988);
- (iii) Minimum Wages Act, 1948 (No. 11 of 1948);
- (iv) Payment of Wages Act, 1936 (No. 4 of 1936);
- (v) Sales Promotion Employees (Conditions of Service) Act, 1976 (No. 11 of 1976),

an officer authorised by the State Government in this behalf by notification may compound.

- (a) any offence punishable with only fine under these Acts committed for the first time or after expiry of a period of two years of commitment of pervious offence (if any), either before or after institution of the prosecution, on realization of such amount of composition fee, as he thinks fit, not exceeding the maximum amount of fine but not less than half of the maximum amount of fine for the offence, or
- (b) any offence pusishable with fine and imprisonment up to three months under these Acts committed for the first time, either before or after institution of the prosecution, on realization of composition fee of an amount equivalent to ten times of the maximum fine subject to a minimum of Rs. 10,000 for offences punishable with imprisonment up to one month Rs. 20,000 for offences punishable with imprisonment up to two months or Rs. 30,000 for offences punishable with imprisonment up to three months.
- (2) When the offence is so compounded—
  - (i) before the institution of the prosecution the offender shall not be liable to prosecution and shall, if in custody, be set at liberty;

(ii) after the institution of prosecution, the composition shall amount to acquittal of the offender.

#### PART X

# EXEMPTION FROM MAINTAINING MULTIPLE REGISTERS AND SUBMISSION OF MULTIPLE RETURNS

Exemption from maintaining multiple registers and submission of multiple returns under certain Labour Laws in the State of Madhya Pradesh.

- 17. Notwithstanding anything contained in the provisions of the following Acts, namely:—
  - (i) Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 (No. 37 of 1970);
  - (ii) Equal Remuneration Act, 1976 (No. 25 of 1976);
  - (iii) Factories Act, 1948 (No. 63 of 1948);
  - (iv) Industrial Disputes Act, 1947 (No. 14 of 1947);
  - (v) Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1979 (No. 30 of 1979);
  - (vi) Labour Laws (Exemption from Furnishing Returns and Maintaining Registers by certain Establishments) Act, 1988 (No. 51 of 1988);
  - (vii) Maternity Benefit Act, 1961 (No. 53 of 1961);
  - (viii) Minimum Wages Act, 1948 (No. 11 of 1948);
  - (ix) Motor Transport Workers Act, 1961 (No. 27 of 1961);
  - (x) Payment of Bonus Act, 1965 (No. 21 of 1965);
  - (xi) Payment of Gratuity Act, 1972 (No. 39 of 1972);
  - (xii) Payment of Wages Act, 1936 (No. 4 of 1936);
  - (xiii) Sales Promotion Employees (Conditions of Service) Act, 1976 (No. 11 of 1976);

the State Government by order may devise or notify forms for maintaining registers and records and furnishing returns by an employer or establishment in lieu of the forms prescribed under the said Acts and the rules made thereunder:

Provided that the State Government may allow the registers and records to be maintained in computerised or digital formats.

# PART XI MISCELLANEOUS PROVISIONS

Power to make rules.

18. (1) The State Government, subject to the condition of previous publication, may make rules for the purpose of giving effect to the provisions of this Act;

of

- (2) All rules made under this Act shall, as soon as after they are made, be laid on the table of the Legislative Assembly.
- 19. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by general or special order published in the Gazette, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act as appear to it to be necessary or expendient for removal of the difficulty.

Removal difficulties.

(2) Every order made under sub-section (1) shall be laid on the table of the Legislative Assembly.

#### STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

This Bill is being proposed for making amendments in certain labour laws with the objective of simplifying the procedure and avoiding the duplicity of the provisions in the Acts and for providing the appropriate safeguards in the interest of the workmen.

- 2. Under sub-section (3) of Section 7 of the Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996 (No. 27 of 1996), provisions for registration of establishment is laid down but no time limit is prescribed for issuing such registration and there fore possibilities to keep such applications pending for indefinite period in the concerning office cannot be ruled out. In order to remove such lacuna and maintaining transparency in registration procedure an additional provision is proposed to be added as sub-section (3A), so that the registration under the Act shall be deemed to be granted after prescribed time limit, if no adverse order is passed by the registering officer;
- 3. (1) In sub-section (1) of Section 3 of the Building and Other Construction Workers Welfare Cess Act, 1996 (No. 28 of 1996), there is a provision of levying cess on the cost of construction incurred by an employer but in absence of any classification regarding what should be the actual cost of construction, assessment of cess is being done by calculating the cost of construction in various (arbitrary) manners by different officers. To remove such difficulties an additional sub-section (1A) of Section 3 is being proposed wherein the cost incurred by an employer on purchase of plant and machinery from outside, not being the part of construction and other such extra costs shall clearly be specified by the Government and will not be the part of cost of construction.
- (2) In sub-section (1) of Section 11, the provisions for appeal against the order of the assessing officer is laid down and the procedure is laid down in rule 14 of the Building and Other Construction Workers Welfare Cess Rules, 1998. The procedure therein seems to be complicated as the employer has to deposit the full amount of cess ordered by the assessing officer, even if it is grossly disputed and he has to deposit the appeal fee too. Therefore, in order to remove such procedural problem, the State Government is being empowered to prescribe amendment in procedure of appeal through proposed substitution of sub-section (1) of Section 11 of the Act.
- 4. In sub-section (2) of Section 7 and sub-section (3) of Section 13 of the Contract labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 (No. 37 of 1970), provisions for registration of principal employer and licence for contractors are laid down but no time limit is prescribed for issuing of the same and therefore there is always a possibility of delaying of such application for indefinite period. In order to remove such procedural difficulties and for maintaining transparency in procedures, additional provisions under Section 7 and 13 are being proposed to be added so that the applications are deemed to be granted in 30 days time limit if complete in all respect and no objections are raised during this time period.
- 5. (1) In sub-sction (2) of Section 65 of the Factories Act, 1948 (No. 63 of 1948), powers are vested with the Government and the Cheif Inspector for granting any exemption in the periods of overtime work of any worker and the conditions for such overtime work are also laid down. For seeking such permission, every factory has to apply individually and has to undergo a lengthy complicated procedure. For facilitating such employers by way of increasing the overtime period and for enhancing the productivity and the economic conditions of workers, by way of receiving wages for overtime at double rate, the provision for extended working hours and overtime hours and the conditions thereof are being prescribed under sub-section (3) of Section 65, and sub-section (2) of Section 65 is being proposed to be deleted.

This is also being proposed that no worker shall be compelled to do the overtime and the occupier shall have to maintain the record of working hours and overtime in prescribed formats to avoid the misuse of this provisions.

- (2) In clause (a) and (b) of sub-section (1) of Section 66, the provisions are laid down about restrictions of work for women in night shifts. This provision has become obsolete in light of the scenario at present, status of women and the awareness among them. For promoting the employment opportunity for women and therefore in order to remove difficulty in night shift working of women while ensuring their safety, the provision for allowing them to work from 8 PM to 6 AM is being proposed in Section 66. Provisions for their safety will also be ensured during night shifts by the State Government.
- (3) In sub-section (1) of Section 79, provisions for annual leave with wages are prescribed but that provides annual leave with wages to a worker only after 240 days of completed service that too from next calendar year. To make it more convenient to workers, it is proposed that the worker get the benefit of leave with wages after completing 180 days of service and from the same calendar year by making amendment of Section 79.
- 6. (1) In Section 2A of the Industrial Disputes Act, 1947 (No. 14 of 1947), no time limit is prescribed for raising personal disputes and sometimes disputes are raised after a lapse of many years which cause difficulties in settlement of such disputes. It is, therefore, proposed that a time limit of three years should also be provided for raising the industrial disputes covered under Section 2A.
- (2) Existing Section 25-F provides for one month's notice or wages in lieu of notice for notice period is to be given to the workers before retrenching them. By amending this provision in the interest of the workmen, it is proposed to amend clause (b) of Section 25 F that in case of retrenchment, three months notice and also wages for at least three months be given to the workmen. This amendment would provide much needed financial security to the workmen during the period of transition in case of their retrenchment.
- (3) Section 25K provides for applicability of chapter VB of the Act and this chapter is applicable to such industrial establishment (not being an establishment of a seasonal character or in which work is performed only intermittently) in which not less than "one hundred" workmen were employed on an average per working day for the preceding twelve months. In such establishments, prior permission of the State Government is required to be obtained by the employer before effecting lay off, retrenchment or closure. By amendment it is proposed to increase the number of workmen from 100 to 300, which would help and encourage the employers to employ more number of regular workers on the rolls of establishment and also remove the procedural difficulties for small establishments seeking such permissions.
- 7. In sub-section (3) of Section 4 of the Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1979 (No. 30 of 1979), existing provision prescribes the procedure of registration of the establishment, but no time limit is prescribed for issuing such registration that may result into pendency of such applications for indefinite period. Therefore, it is proposed in order to maintain transparency and remove such procedural lacuna, to insert an additional proviso for prescribing time limit of 30 days beyond which the registration shall be deemed to be duly granted if an adverse order is not passed by the registering officer.
- 8. In sub-section (2) of Section 3 of the Motor Transport Workers Act, 1961 (No. 27 of 1961), existing provision prescribes the procedure of registration of the establishment, but no time limit is prescribed for issuing such registration that may result into pendency of such applications for indefinite period. Therefore, it is proposed in order to maintain transparency and remove such procedural lacuna, to insert an additional proviso for prescribing time limit of 30 days beyond which the registration shall be deemed to be duly granted if an adverse order is not passed by the registering officer.
- 9. It is observed that under the existing provisions in various labour laws, there is no provision for compounding of offences, resulting in higher number of prosecution cases, that leads also to consumption of precious time of Government officials and the employers as well. For speedy disposal of offences with penalties and imprisonment up to 3 months only and to minimize the number of litigations, provision is being proposed for deciding such cases by way of compounding by the labour department officers in only such Acts wherein the penalty and imprisonment up to only 3 months are provided.

- 10. In order to avoid unnecessary harassment to industries and commercial establishments and to provide the facility of simplified registers and returns under various labour laws while ensuring a more effective system for compliance with the povisions of labour laws, it is proposed to bring in such provision wherein only smaller and simpler intergrated formats of registers, records and returns will be required to be maintained by the employers, and the same would also be allowed to be maintained in computerized or digital format.
  - 11. Hence this Bill.

Bhopal:

ANTAR SINGH ARYA

Dated the 18th July, 2015.

Member-In-Charge.